



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर. १६६—पीबीआर / १२

जिला—विदिशा

नं तथा दिनांक	वर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-3-15	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस.सेंगर, अभि. उप.। अना. की ओर से श्री सुनीलसिंह जादौन, अभि.। आवेदक अभि. अब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते।</p> <p>इतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> संदर्भ</p>	



न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वा

प्र. कृ. निगरानी/2012

R - 166 - PBR / 2012

ज्ञान अमृत 27/1/12
मुनालाल शर्मा आयु 42 वर्ष लगभग पुत्र स्व. श्री बिहारीलाल शर्मा
निवासी व कृषक कर्त्ता खेड़ी मौजा सहजाखेड़ी, तहसील व जिला
विदिशा (म.प्र.)।

----- पुनरीक्षणकर्ता

प्रस्तुत
वल्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य. जालियर

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण आयु 55 वर्ष लगभग पुत्र स्व. श्री बिहारीलाल शर्मा
2. बाबूलाल शर्मा आयु 60 वर्ष लगभग पुत्र स्व. श्री बिहारीलाल शर्मा
निवासी ग्राम कर्त्ता खेड़ी मौजा सहजाखेड़ी, तहसील व जिला विदिशा
(म.प्र.)
3. ईश्वरप्रसाद शर्मा युवा स्व. श्री बिहारीलाल शर्मा कृषक ग्राम कर्त्ता
खेड़ी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.)

----- गैर पुनरीक्षणकर्ता गया

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.ग्र. भू-राजस्व संहिता न्यायालय
श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्र.क्र.
167/निगरानी/2009-10 मुनालाल शर्मा आदि वि. लक्ष्मीनारायण
शर्मा में परित आदेश दिनांक 26/11/2011 के विरुद्ध दुःखित
होकर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

मुझ पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका ताथ्यिक निरूपण संहित

एतदानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, गैरपुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महो. विदिशा द्वारा
सभी उत्तराधिकारियों की आपसी सहमति से प्र.क्र. अ 27/06-07 बाबूलाल आदि वि.
शासन में पारित बंटवारा आदेश दिनांक 31/10/2006 के विरुद्ध बेईमानीपूर्ण व लुरे
आशय से मिथ्या व असत्य आधारों पर अपील न्याया. श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी
विदिशा के समक्ष प्रस्तुत की, न्याया. ने प्रक्तर ग में विद्यमान स्पष्ट तथ्यों, रिकार्ड एवं
विधि-विधान व प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत जाकर आवेदन पत्र धारा 5 व अपील
म्बीकार कर. प्रश्नगत बंटवारा आदेश निरस्त कर, प्रकरण नायब तहसीलदार महोदय